है, प्रार्थी एक चालाक व्यक्ति है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने की गर्ज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है का निवेदन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त पत्थरगढी भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किये जाने का निवेदन रहा।

वकुलाय की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ता से अध्ययन किया जाने पर अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किये गये न काल्पनिक कहानी अंकित किये जाना, कदीमी डोल को कभी–भी मिसमार नहीं ा जाना प्रार्थी द्वारा करायी गई पैमाइश दिनांक 16.06.16 को तथाकथित बताते हुए ाकारी नहीं होना मौके पर अप्रार्थी सं0 1 की आराजी में कोई निशानात लगाकर डोल म नहीं किया जाना तथा आज भी कदीमी डोल पूर्व की भांति यथास्थिती में कायम ा आदि के जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की ट होना पाये जाने की स्थिती में यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य ा है।

–:आदेश:–

यह न्यायालय उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य जाने की स्थिती में स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी ख0 नं0 709 वाके गादूवास के बाबत मौका परचा पैमाइश दिनांक 16.05.16 के आधार पर ख0 नं0 709 ग्राम गादूवास तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत पूर्वानुसार पैमाइश कर ख0 नं0 व 711 तथा 709 के मध्य बिन्दु कायम कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश जाते है इसी अनुसार किये जाने पत्थरगढी तहसीलदार मुण्डावर को निर्देशित किया जात है उभयपक्षकारान को सूचित कर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी की जावे। तानुसार किये जाने पत्थरगढी तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.05.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर याल की मुद्रा से जारी कर मजमें आम में सुनाया गया।

01.05.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner